रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 25, 2018/वैशाख 5, 1940
No. 267] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 25, 2018/VAISAKHA 5, 1940

IndiaCode

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 399(अ).—कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, जिसे केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1438 (अ), तारीख 2 नवंबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 23 नवंबर, 2017 में, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किए गए थे ;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 23 नवंबर, 2017 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, उक्त अधिसूचना के संबंध में जनता से कोई आपेक्ष या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कीटनाशी नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में,--

(अ) नियम 6 में,--

(i) उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(4) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा यथा अनुमोदित प्रपत्र में, ऐसी शर्तों के साथ, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, जारी किया जाएगा ।";

(ii) उपनियम (4क) में, "प्ररूप 3" शब्द और अंक के स्थान पर, "रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा यथा अनुमोदित प्रपत्र में" शब्द रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियम के नियम 7 में,--

(i) उपनियम (1) में, "प्ररूप 4 में" शब्दों और अंक का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(2) अपील, अपीलार्थी द्वारा सम्यक् लिखित में हस्ताक्षरित किया जाएगा और वह स्पष्ट रूप से नाम, पता और अपीलार्थी का ई-मेल, कीटनाशी का नाम, जिससे अपील संबंधित है, अपील के विरुद्ध रजिस्ट्रीकरण समिति के निर्णय की तारीख, क्या अपील विहित सीमा में थी, जमा किए गए फीस का ब्यौरा, समर्थनों के दस्तावेजों के तथ्यों का कथन और अनुतोष दावा को उपदर्शित करेगा ।"।

4. उक्त नियम के नियम 9 में,--

(i) उपनियम (1) में, "प्ररूप 5" शब्द और अंक के स्थान पर, "प्ररूप 2" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (3) में,--

(क) "प्ररूप 6" शब्द और अंक के स्थान पर, "प्ररूप 3" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) खण्ड (v) में, "से प्रभाव में आएगा" शब्दों के पश्चात्, "लाईसेंस की स्थितियों सहित" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

5. उक्त नियम के नियम 10 में,--

(i) उपनियम (1) में, "प्ररूप 7" शब्द और अंक के स्थान पर, "प्ररूप 2" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (3क) में,--

(क) खंड (i) "प्ररूप 7" शब्द और अंक के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते है, "प्ररूप 2" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) खण्ड (ii) में, "प्ररूप 8" शब्द और अंक के स्थान पर, "प्ररूप 3" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(iii) उपनियम (4) में,--

(क) "प्ररूप 8" शब्द और अंक के स्थान पर, "प्ररूप 3" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) खण्ड (ii) में, "से प्रभाव में आएगा" शब्दों के पश्चात्, "लाईसेंस की स्थितियों सहित" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iv) उपनियम (4क) में, "प्ररूप 9" शब्द और अंक के स्थान पर, "प्ररूप 2 का परिशिष्ट" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(v) उपनियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(7) लाइसेंसधारी, अनुज्ञप्ति के लिए परिशिष्ट में विहित प्रपत्र सभी अभिलेख और रजिस्टर रखेगा और अनुज्ञापन प्राधिकारी प्रत्येक दो वर्ष में कम से कम एक बार अवसंरचना, परिसर, स्टाक और अभिलेख निरीक्षण करेगा ।"।

6. उक्त नियम के नियम 10क के खंड (क) में, "प्ररूप 11" शब्द और अंक के स्थान पर, "प्ररूप 3 का परिशिष्ट क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

7. उक्त नियम के नियम 15 में,--

(i) उपनियम (2) में,--

(क) "प्ररूप 12 और राज्यवार" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "प्ररूप 3 का परिशिष्ट ख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) "प्ररूप 14 में" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

IndiaCode

(ii) उपनियम (3) में,--

(क) "प्ररूप 13" शब्द और अंकों के स्थान पर, "प्ररूप 3 का परिशिष्ट ग1" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) "प्ररूप 14" शब्द और अंकों के स्थान पर, "प्ररूप 3 का परिशिष्ट ग2" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iii) उपनियम (4) में,--

(क) "प्ररूप 15" शब्द और अंकों के स्थान पर, "प्ररूप 3 का परिशिष्ट घ1" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) "प्ररूप 16" शब्द और अंकों के स्थान पर, "प्ररूप 3 का परिशिष्ट घ2" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

8. उक्त नियम के नियम 24 के उपनियम (3) में, "प्ररूप 17" शब्द और अंकों के स्थान पर, "प्ररूप 4" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

9. उक्त नियम के नियम 30 में, "प्ररूप 18" शब्द और अंकों के स्थान पर, "प्ररूप 5(क)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

10. उक्त नियम के नियम 32 में, "प्ररूप 19" शब्द और अंकों के स्थान पर, "प्ररूप 5(ख)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

11. उक्त नियम के नियम 33 में, "प्ररूप 20" शब्द और अंकों के स्थान पर, "प्ररूप 5(ग)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

12. उक्त नियम के नियम 34 में,--

(i) उपनियम (1) में, "प्ररूप 20 में ज्ञापन" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "प्ररूप 5(घ)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (3) में, "प्ररूप 21" शब्द और अंकों के स्थान पर, "प्ररूप 5(ङ)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

13. उक्त नियम के नियम 37 में,--

(i) उपनियम (1) में, "प्ररूप 22" शब्द और अंकों के स्थान पर, "प्ररूप 3 का परिशिष्ट ङ" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

14. उक्त नियम में, पहली अनुसूची स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :--

"प्रथम अनुसूची

प्ररूप 1

कीटनाशको के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

[नियम 6 देखिए]

1. (क) आवेदक का नाम और पता:

(ख) ई-मेल का पता :

(ग) स्थायी लेखा संख्यांक (पी.ए.एन.) :

(घ) रजिस्ट्रीकरण का प्रवर्ग :

2. उस कीटनाशक का, जिसको आवेदक आयात करने या विनिर्माण करने का प्रस्ताव करता है :

क) सामान्य नाम

ख) व्यापारिक नाम (सीएएस और आईयूपीएसी नाम, यदि उपलब्ध है)

ग) सीएएस संख्या

3. रजिस्ट्रीकरण का प्रयोजन : [देश में उपयोग के लिए अथवा निर्यात के लिए अथवा दोनों के लिए]

4. आवेदन की प्रकृति :

(क) आयात या विनिर्माण :

(ख) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 9(3)/9(3ख)/9(4) के अधीन

रजिस्ट्रीकरण :

(ग) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम, यदि तुल्यता का दावा किया जाता है :

(घ) लागू होने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्त विनिर्दिष्ट करें :

5. परिसर का पता-

(क) विनिर्माण का :

(ख) जहां आयातित कीटनाशी का निर्मिति या पुन:पैक में संपरिवर्तन किया जाएगा :

6. आयात की दशा में, कृपया कथन करे :-

(क) विनिर्माता का नाम और पता :

(ख) प्राधिकारी का नाम, पता और ई-मेल आई.डी., जिसने निर्यात करने वाले देश में विनिर्माण प्राधिकृत किया है :

(ग) पूर्तिकार का नाम और पता यदि वह विनिर्माता द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत है :

(घ) क्या कीटनाशी उस देश में रजिस्ट्रीकृत है--

(i) जहां विनिर्माण किया जाना है;

(ii) जिससे पूर्ति किए जाने की प्रत्याशा की जाती है:

(ङ) रजिस्ट्रीकरण सख्यांक, विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्यांक, विनिर्माता देश में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और विनिर्माण अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि :

7. विनिर्माण की दशा में, क्या कीटनाशी विनिर्मित या पुन: पैक किया जाना प्रस्तावित है:

8. विनिर्मिति की दशा में, तकनीकी श्रेणी सामग्री के प्रदाय पूर्ति का स्रोत और रजिस्ट्रीकरण की स्थिति:

9. रसायनिक संरचना (प्रतिशत के आधार पर)--

(क) सक्रिय संघटक (संघटकों) का नाम :

(ख) अशुद्धता (तकनीकी श्रेणी कीटनाशी की दशा में) :

(ग) सहायक (विनिर्मिति की दशा में, अन्य संघटक) :

(घ) कुल :

10. (क) भण्डारण में स्थिरता (बोर्ड द्वारा अनुमोदित न्याचार के अनुसार आंकड़े प्रदान करे) :

(ख) प्रयोग करने की अवधि का दावा :

(प्रयोग करने की अवधि का वचनबंध प्रदान करे):

11. स्तनपायी, वन्यजीव, जलचर के लिए कीटनाशी की विषाक्तता(रजिस्ट्रीकरण समिति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार परीक्षण सुविधा द्वारा जनित विषवैज्ञानिक आंकड़े प्रदान करे) :

12. पादप रोग, कीट, घासपात और अन्य अनिष्टकर जन्तुओं पर जैव प्रभावकारिता, जिनके विरुद्ध इसका प्रयोग किया जाना अपेक्षित है(रजिस्ट्रीकरण समिति के

IndiaCode

मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार परीक्षण सुविधा द्वारा जनित आंकड़े प्रदान करें) :

13. भण्डारण और उपयोग के लिए अनुदेश जिसमें प्राथमिक उपचार और पूर्वोपाय सम्मिलित हैं जो लेबल पर लिखे जाने के लिए प्रस्तावित हैं :

(कीटनाशी नियम और रजिस्ट्रीकरण समिति के मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार)

14. (क) भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार कीटनाशकों की गुणवत्ता और उसके अवशेषों के लिए प्रस्तावित विनिर्देशनों (जिसमें विश्लेषण की विधि भी शामिल है) की एक साफ्ट कापी सहित दो प्रतियां :

(ख) परीक्षण सुविधा से कीटनाशी के नमूनों (जिसके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है) की विश्लेषण परीक्षण रिपोर्ट (सम्पूर्ण ब्योरे, ग्राफ, गणनाएं आदि प्रदान करें) :

(ग) तकनीकी श्रेणी कीटनाशी की दशा में सक्रिय संघटक का लक्षण वर्णन (परा-बैंगनी, अवरक्त पुंज और नाभिकीय चुम्बकीय अनुनाद स्पेक्ट्रा का प्रयोग करते हुए) :

15. कीटनाशी नियम, 1971 के अनुसार प्रस्तावित लेबलों और पत्रकों की सात प्रतियां (इनमें वह सभी मुद्रित और ग्राफिक सामग्री सम्मिलित है जो इन पैकेजों के साथ होगी, जिसमें कीटनाशी है):

16. पैक करने की रीति :

17. जमा कराई गई फीस के ब्यौरे :

आवेदक के हस्ताक्षर मुहर सहित

IndiaCode

सत्यापन

मैं..... सुपुत्र/पुत्री सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता हूँ कि आवेदन और उपाबंध तथा उनके साथ विवरणों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं स्पष्ट रूप से जानता हूँ कि आवेदन के साथ प्रस्तुत सूचना और आंकड़े किसी भी प्रक्रम पर गलत या मिथ्या पाये जाते हैं या इस आवेदन के विरुद्ध प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण की कोई शर्त अतिक्रमित की जाती है, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र रद्द किये जाने के लिए दायी होगा ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं के रूप में अपनी हैसियत में यह आवेदन कर रहा हूँ और मैं यह आवेदन करने के लिए सक्षम हूँ तथा के आधार पर इसे सत्यापित करता हूँ जिसकी एक अनुप्रमाणित प्रति इसके साथ संलग्न है ।

स्थान :

हस्ताक्षर मुहर सहित

तारीख :

टिप्पण : (1) आवेदन का प्रपत्र, जिसके अन्तर्गत सत्यापन का भाग और अनुपूरक सूचना प्रपत्र भी है, व्यक्ति की दशा में स्वयं व्यक्ति द्वारा या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा; हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में, कर्ता द्वारा; भागीदार फर्म की दशा में, किसी प्रबंध भागीदार द्वारा; कम्पनी की दशा में, उस निमित्त निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा और किसी अन्य दशा में, कारबार के संचालन के प्रभारी या उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा अवश्य हस्ताक्षरित होना चाहिए ।

(2) आवेदन पत्र के साथ एक स्वयं का पता लिखा डाक टिकट लगा लिफाफा और पर्याप्त संख्या में डाक टिकट लगे लिफाफे, जो राज्यों जहाँ पर विनिर्माण परिसर अवस्थित है, पर निर्भर है, संलग्न किया जाना चाहिए।

प्ररूप 2

(1) कीटनाशियों का निर्माण करने के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

[नियम 9 का उपनियम (1) देखें]

या

(2) कीटनाशियों के विक्रय, विक्रय या वितरण के लिए स्टाक या प्रदर्शन के लिए आवेदन

[नियम 10 का उपनियम (1) देखें]

या

(3) वाणिज्यिक नाशकजीव नियंत्रण संक्रियाओं के लिए कीटनाशियों के स्टाक और उपयोग की अनुज्ञप्ति प्रदान करने/नवीकरण के लिए आवेदन

[नियम 10 का उपनियम (3क) देखें]

(अलग अनुज्ञप्ति के लिए अलग आवेदन प्रस्तुत करें)

आवेदक का फोटो

IndiaCode

सेवा में,

अनुज्ञापन प्राधिकारी

.....

.....

1. आवेदक का नाम, पता और ई-मेल पता:

2. क्या आवेदन, जिसके लिए,--

(क) कीटनाशियों के विक्रय/विक्रय के लिए स्टाक/प्रदर्शन/वितरण की अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए है:

(ख) कीटनाशी के विक्रय/वितरण के लिए क्रय/स्टाक/संप्रदर्श के अनुज्ञप्ति की मंजूरी :

(ग) वाणिज्यिक कीटनाशक नियंत्रण प्रचालन के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी/नवीकरण:

3. विनिर्माता परिसर का पता (विनिर्माण की अनुज्ञप्ति के मामले में)

i) परिसर का पूरा पता

ii) कीटनाशी का नाम और इसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या (आवेदक से सम्यक् रूप से प्रमाणित कीटनाशी के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)

iii) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की विधिमान्यता (रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के अनुसार)

4. परिसर का सम्पूर्ण पता (जिसके अन्तर्गत गली का नाम, पिन कोड, इत्यादि भी हैं) जहाँ कीटनाशी (कीटनाशियों) का :

(क) भंडारण/स्टाक किया जाएगा :

(ख) वाणिज्यिक नाशकजीव नियंत्रक संक्रियाओं की दशा में विक्रय या विक्रय के लिए प्रदर्शन अथवा उपयोग के लिए जारी किया जाएगा :

(ग) क्या उपरोक्त में से कोई भी परिसर आवासीय क्षेत्र में स्थित है : (वचनबंध प्रस्तुत किया जाए)

(घ) क्या उपरोक्त में से किसी परिसर में खाद्य वस्तुओं का भी भण्डारण किया जाता है : (वचनबंध प्रस्तुत किया जाए)

5. क) आवेदक/आवेदक के नियोजन के अधीन तकनीकी व्यक्ति की अर्हता :

क्र. सं.	नाम और पदनाम	अर्हता	अनुभव

(ख) क्या कीटनाशी नियमों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम अर्हता को पूरा करते हैं :

6. प्रशिक्षण (जहां कहीं लागू हो)

(क) प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम का नाम:

(ख) प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम की अवधि:

(ग) प्रदत्त प्रमाणपत्र, यदि कोई हो (सहायक दस्तावेज संलग्न करें)

7. विनिर्माण की स्थिति में कीटनाशी नियम, 1971 के अध्याय 8 में उल्लिखित के अनुसार अवसरंचना सहित कीटनाशियों के विनिर्माण के लिए सुविधाओं और रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा प्रदान किए गए न्यूनतम अवसरंचना दिशा-निर्देशों के ब्यौरे (आवेदक द्वारा यथाहस्ताक्षरित अलग पन्ने पर संपूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत कीजिए)

8. व्यावसायिक कीट नियंत्रण प्रचालन के लिए आवेदन की स्थिति में (समर्थन दस्तावेज प्रस्तुत करें)

क. रजिस्ट्रीकृत, क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों का पता :

ख. जिस परिसर के लिए अनुज्ञप्ति का आवेदन किया गया है, का पता :

ग. क्या तकनीकी विशेषज्ञता का अनुमोदन अभिप्राप्त किया गया है :

घ. यदि हां, तो तकनीकी अनुमोदन का संदर्भ संख्या तारीख और विधिमान्यता का उल्लेख करें :

ड. प्रतिबंधित कीटनाशकों जिनके लिए अनुमोदन दिया गया है,का नाम :

च. क्या प्रतिबंधित कीटनाशकों की कोई मात्रा आवेदन की तारीख तक आवेदक के पास है :

छ. यदि हां, तो प्रत्येक के मामले में मात्रा और विवरण प्रस्तुत करें :

ज. सुरक्षा उपकरणों, एंटीडोट्स और अन्य आवश्यक सुविधाओं के ब्योरे :

9. बिक्री, स्टॉक आदि और व्यावसायिक कीट नियंत्रण प्रचालनों के मामले में कीटनाशी (कीटनाशियों) और इसके/उनके विनिर्माता/ आयातकों, जिसके लिए आवेदक आवेदन कर रहा है, का नाम और निम्नलिखित फार्मेट में मूल प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्रों की स्थिति (विनिर्धारित फार्मेट में मूल प्रमाणपत्र संलग्न करें):

IndiaCode

क्र.सं.	कीटनाशी की विशिष्टियां	विनिर्माता/आयातक का नाम	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की संख्या	मूल प्रमाणपत्र के ब्यौरे, संख्यांक/जारी करने की तारीख/विधिमान्यता
1	2	3	4	5

10. अनुज्ञप्ति का पूरा विवरण, यदि किसी अन्य राज्य द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में आवेदक के नाम जारी किया गया :

11. नवीनीकरण की स्थिति में कृपया अनुज्ञप्ति संख्या और तारीख का उल्लेख करें :

12. आवेदक द्वारा संदत्त किए गए आवेदन फीस की विशिष्टियां :

13. अन्य कोई सुसंगत सूचना :

आवेदक के हस्ताक्षर मुहर सहित

IndiaCode

<u>घोषणा</u>

(जो लागू नहीं, उसे काट दें)

(क) मैं/हम पुत्र/पुत्री घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त प्रदत्त सूचना मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और सत्य है, और इसमें कुछ असत्य या छिपाया नहीं गया है। मैं स्पष्ट रूप से जानता हूँ कि यदि कोई सूचना गलत, जाली या मिथ्या पायी जाती है अथवा अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का अतिक्रमण किया जाता है, मुझे जारी की गई अनुज्ञप्ति रद्द किए जाने के लिए दायी होगा ।

(ख) मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि स्टॉक कीटनाशकों के लिए पर्याप्त स्थान और सुविधाएं हैं जिससे शैल्फ पर उनकी गुणवता बनाई जा सके ।

(ग) मैं किसी भी वितरक अथवा व्यौहारी और व्यक्ति, जिसके पास पर्याप्त स्थान और स्टॉक की सुविधाएं नहीं हैं, को कीटनाशकों की आपूर्ति नहीं करूंगा जिससे कि किसी भी स्थिति में शैल्फ पर उनकी गुणवत्ता प्रभावित न हो। (विनिर्माताओं के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन हेतु)

(घ) मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं बिना गुणवत्ता के समाधान हुए किसी भी प्रकार का स्टॉक नहीं रखूंगा ।

(ड.) मैं वचनबंध देता हूं कि किसी भी जिम्मेदार तकनीकी व्यक्ति के परिवर्तन की सूचना दूंगा ।

(च) मैं वचनबंध देता हूं कि हम अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले अधिकारी को मूल प्रमाणपत्र में किसी भी तरह के परिवर्तन की सूचना देंगे (विनिर्माताओं हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन हेतु लागू नहीं) ।

(छ) इसके अलावा मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं यह आवेदन कर रहा हूं और मैं यह आवेदन करने में सक्षम हूं और मैं इसे के द्वारा सत्यापित करता हूं, जिसकी एक सत्यापित प्रति सलंग्न है। इसके अलावा मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं अनुज्ञप्ति में दी गई अधिकथित शर्तों का पालन करूँगा और ऐसा करने में चूक अनुज्ञप्ति को रद्दकरण हेतु उत्तरदायी बना देगी।

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर मुहर सहित

परिशिष्ट

मूल प्रमाणपत्र

(जहां कहीं आवश्यक हो वहां संलग्न करें)

[नियम 10 के उपनियम (4 क) का खंड (i) देखिए]

(विनिर्माता के पत्र शीर्ष पर)

सं. **तारीख:**

हम नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार निम्नलिखित कीटनाशी (कीटनाशियों) का विनिर्माण करते हैं:

क्र.सं.	कीटनाशी का नाम (व्यापारिक नाम यदि कोई हो, उल्लिखित करें)	विनिर्माण परिसर का पता	अनुज्ञप्ति संख्यांक	जारी करने की तारीख	विधिमान्यता की अवधि	अनुज्ञापक प्राधिकारी का नाम और पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

2. हम मैसर्स (नाम, पूरा पता और ई-मेल)..... को हमारे द्वारा विनिर्मित निम्नलिखित कीटनाशियों को तालुका/जिला/राज्य जिनका नीचे ब्यौरा दिया गया है में थोक या खुदरा में विक्रय, स्टाक या विक्रय के लिए प्रदर्शन अथवा वितरित करने के लिए प्राधिकृत करते हैं:

क्र.सं.	कीटनाशी का नाम (व्यापारिक नाम यदि कोई हो, कोष्ठक में उल्लिखित करें)	रजिस्ट्रीकरण संख्याक और जारी करने की तारीख	विनिर्माण अनुज्ञप्ति की संख्या और जारी करने की तारीख	तालुका और जिला का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

3. उपरोक्त वर्णित व्यौहारी, उपरोक्त ब्यौरा दिए गए कीटनाशियों को प्राप्त करेगा--

(क) हमारे से सीधे:

(ख) निम्नलिखित वितरक (वितरकों) से:

क्र.सं.	वितरक (वितरकों) का नाम	वितरक (वितरकों) का सम्पूर्ण पता, फोन नं0 और ई-मेल	उपरोक्त कीटनाशियों के वितरण के लिए अनुज्ञप्ति संख्यांक और तारीख	अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की तारीख	परिसर का सम्पूर्ण पता, जहां वितरक कीटनाशकों का स्टाक कर रहा है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

4. व्यौहारी, जिसको मूल प्रमाणपत्र जारी किया गया है, उपरोक्त वर्णित वितरक से उपरोक्त ब्यौरा दिए गए कीटनाशियों को प्राप्त करेगा। इन कीटनाशियों को किसी अन्य वितरक से प्राप्ति की दशा में यह प्रमाणपत्र अमान्य और शून्य हो जाएगा।

यह प्रमाणपत्र जारी करने से पहले , हम प्रमाणित करते हैं कि हमने यह निरीक्षित और सुनिश्चित कर लिया है कि उपरोक्त वर्णित वितरकों और डीलरों के पास उपरोक्त ब्यौरा दिए गए कीटनाशियों के स्टाक के लिए पर्याप्त स्थान और सुविधा है जिससे शैल्फ पर उनकी क्वालिटी अनुरक्षित रहे और इस आशय का वचन प्राप्त किया है कि कीटनाशी(कीटनाशियों) का स्टाक तद्नुसार किया जाएगा कि प्रत्येक परिस्थिति के अधीन शैल्फ पर उनकी क्वालिटी बनी रहे।

5. यह प्रमाणपत्र वितरक/व्यौहारियों को उपरोक्त ब्यौरा दिए गए कीटनाशियों के विक्रय, स्टाक या विक्रय के लिए प्रदर्शन या वितरण के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाये जाने के लिए जारी किया गया है जिसके अन्तर्गत वाणिज्यिक नाशकजीव नियंत्रण संक्रियाओं के लिए स्टाक और उपयोग भी शामिल है, और इसकी विधिमान्यता तक होगी।

IndiaCode

6. निरस्त करने/निरसन के मामले में (वैधता की तारीख)

तारीख:

स्थान:

कम्पनी की मुहर के साथ हस्ताक्षर

सेवा में,

वितरक/व्यौहारी का नाम और पता

प्रतिलिपि सूचना के लिए:

(i) अनुज्ञापन अधिकारी,

(ii) मैसर्स (वितरक और उसका पता), यदि कीटनाशियों का प्रदाय वितरकों के माध्यम से किया जाना है)

कम्पनी की मुहर के साथ हस्ताक्षर

प्ररूप 3

(अनुज्ञापक अधिकारी के पत्रशीर्ष पर)

कीटनाशियों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति

(नियम 9 का उप-नियम (3) देखिए)

या

कीटनाशी की बिक्री, भंडारण अथवा प्रदर्शनी अथवा बिक्री एवं वितरण हेतु अनुज्ञप्ति

(नियम 10 का उपनियम(4) देखिये)

या

व्यावसायिक कीट नियंत्रण प्रचालनों के लिए कीटनाशकों का भंडारण और उपयोग

(नियम 10 का उपनियम 3(क) देखिए)

1. अनुज्ञप्ति संख्यांक:.....

..... पर स्थित (पिन कोड के साथ सम्पूर्ण पता) परिसर..... पर निम्नलिखित कीटनाशियों के विनिर्माण/बिक्री, भंडारण अथवा बिक्री के लिए प्रदर्शनी अथवा वितरण/व्यावसायिक कीटनियंत्रण के लिए अनुज्ञप्ति मैसर्सको प्रदान की जाती है जैसा नीचे विनिर्दिष्ट है-

क्र.सं.	कीटनाशी की विशिष्टियां	रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	अनुज्ञप्ति प्रदान करने की तारीख	अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता
1	2	3	4	5

IndiaCode

2. कीटनाशियों को निम्नलिखित विशेषज्ञ कर्मचारीवृन्दो के निर्देशन और पर्यवेक्षण में विनिर्माण/बिक्री,भंडारण अथवा कीटनाशियों की बिक्री के लिए प्रदर्शनी अथवा वितरण/व्यावसायिक कीटनियंत्रण प्रचालन किया जाएगा।

(क) विनिर्माण हेतु: विशेषज्ञ कर्मचारीवृन्द के नाम एवं पदनाम(कीटनाशीवार यदि कोई है): और

(ख) बिक्री/स्टॉक/कीटनियंत्रण प्रचालन: विशेषज्ञ स्टॉफ का नाम और पता।

3. अनुज्ञप्ति कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन तत्समय प्रवृत्त नियमों में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों, साथ ही नीचे विवरणित शर्तों के अध्यधीन होगी।

हस्ताक्षर अनुज्ञापक अधिकारी

मुहर

शर्तें

1. अनुज्ञप्ति उस परिसर में, जिसके लिए अनुज्ञप्ति जारी की गई है, रखी जाएगी और कीटनाशी निरीक्षक, अनुज्ञापक अधिकारी या इस संबंध में सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जब अपेक्षित हो, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत की जाएगी ।

2. अनुज्ञप्ति में वर्णित विशेषज्ञ कर्मचारीवृन्द में किसी परिवर्तन की रिपोर्ट तत्काल अनुज्ञापन अधिकारी को दी जाएगी ।

3. अनुज्ञप्तिधारी कीटनाशी के रजिस्ट्रीकरण की प्रत्येक शर्त का निष्ठा से पालन करेगा जिसके न हो सकने पर कीटनाशी की अनुज्ञप्ति रद्द किए जाने के लिए दायी होगी ।

4. समय-समय पर रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा अनुमोदित पैकेज के सिवाए, किसी भी कीटनाशी को समय-समय पर रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा अनुमोदित पैकेजेज के अलावा विक्रीत नहीं किया जाएगा अथवा बिक्री के लिए न प्रदर्शनी लगाई जाएगी अथवा न वितरित किया जाएगा और न ही व्यावसायिक कीटनियंत्रण हेतु उपयोग में लिए जाएगा ।

5. यदि कोई अनुज्ञापनधारी कोई अतिरिक्त कीटनाशी विनिर्माण/बेचना, भंण्डारण करना अथवा बिक्री के लिए प्रदर्शनी लगाना अथवा स्टॉक करना और व्यावसायिक कीटनियंत्रण के लिए उपयोग करना चाहता है तो वह निर्धारित फीस का भुगतान करके इस प्रकार के प्रत्येक कीटनाशी को अनुज्ञप्ति में जुडवाने के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी को आवेदन कर सकता है ।

6. कीटनियंत्रण के प्रचालनों के लिए अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु कीटनाशी नियम के नियम 10 के उपनियम (3क) के अनुसार आवेदन करना होगा ।

7. अनुज्ञप्तिधारी, कीटनाशी अधिनियम, 1968 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए तत्समय प्रवृत्त नियमों का पालन करेगा ।

8. अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा थोक व्यापार के माध्यम से बिक्री हेतु कारखाना परिसर, अनुज्ञप्ति दिए गए परिसर में विनिर्मात कीटनाशियों के भण्डारंण और भण्डारंण के लिए प्राधिकृत करता है ।

9. अनुज्ञप्तिधारी को परिशिष्ट क के अनुसार फार्मेट में अलग से 'अवसान हो चुके कीटनाशियों की तारीख' का अभिलेख रखा जाना चाहिए ।

10. अनुज्ञप्तिधारी को परिशिष्ट ख के अनुसान फार्मेट में कीटनाशियों की बिक्री/वितरण का अभिलेख रखना चाहिए और अनुज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी को मासिक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए ।

11. अनुज्ञप्तिधारी को परिशिष्ट ग 1 और ग 2 में (केवल विनिर्माता के लिए) अलग से तकनीकी और निश्चित उत्पादो के लिए स्टॉक रजिस्टर रखना चाहिए ।

12. अनुज्ञप्तिधारी को परिशिष्ट घ 1 और घ 2 में अलग से (केवल विनिर्माता हेतु) में तकनीकी ग्रेड और निश्चित कीटनाशकों का मासिक विवरण प्रस्तुत करेगा ।

13. अनुज्ञप्तिधारी को परिशिष्ट ड. के अनुसार कीटनाशकों के संबंध में लगे व्यक्तियों का समय-समय पर चिकित्सकीय परिक्षण का अभिलेख रखेगा ।

14. सभी रजिस्टरों को अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए और केंद्रीय सरकार और/या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कीटनाशी निरीक्षण, अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले अधिकारी अथवा अन्य किसी अधिकारी को समय-समय पर जांच के लिए प्रदान कराया जाना चाहिए ।

15. अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य शर्त (शर्तें) ।

अनुज्ञापक अधिकारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट-क

अवसान हो गए कीटनाशियों का रजिस्टर

[नियम 10(क) का उपनियम (क) देखिए]

क्र.सं.	न्यूनतम शुद्धता/अवसंरचना/ संरचना प्रकार और सक्रिय सामग्री की प्रतिशत के साथ कीटनाशी का नाम	बैच संख्यांक	विनिर्माण की तारीख	अवसान की तारीख	विनिर्माता का नाम	प्राप्त किए गए स्टाक और प्राप्त किया गया परिमाण(यूनिट का ब्यौरा दें)	बीजक संख्यांक और तारीख जिसके द्वारा प्राप्त किया गया	विक्रय किया गया परिमाण (यूनिट का ब्यौरा दें)	अतिशेष परिमाण(यूनिट का ब्योरा दें)	अतिशेष परिमाण किस प्रकार निपटाया गया?
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

डीलर के हस्ताक्षर

तारीख और मुहर के साथ

अभिलेख के साथ सत्यापित किया गया और यह पाया गया कि उपरोक्त सूचना सही है

स्थान:

तारीख:

कीटनाशी निरीक्षक के हस्ताक्षर

मुहर

परिशिष्ट-ख

कीटनाशियों (तकनीकी और विनिर्मिति) के विक्रय/वितरण के लिए रजिस्टर (जिसके अन्तर्गत वाणिज्यिक कीटनाशी नियंत्रण संक्रियाओं में प्रयोग किए गए कीटनाशी भी हैं)

(कीटनाशीवार अभिलेख रखा जाना चाहिए)

[नियम 15 का उपनियम-2 देखिए]

कीटनाशी की विशिष्टियां:

पंजीकरण संख्यांक:

माह और वर्ष:

क्र.सं.	कीटनाशी प्राप्त करने की तारीख	विनिर्माता का नाम जिससे प्राप्त किया गया	पूर्तिकार/वितरक का नाम, यदि कोई हो, जिससे प्राप्त किया गया	बैच संख्यांक	विनिर्माण की तारीख	अवसान की तारीख	बीजक ब्यौरे संख्यांक, तारीख और परिमाण (मीट्रिक टन) जिसके द्वारा पूर्ति प्राप्त की गई	परिमाण (मीट्रिक टन)				बिल संख्यांक(नाम और पता जिसे बेचा/वितरित किया गया) विक्रय/वितरित किए गए परिमाण की तारीख और परिमाण	टिप्पणियां
								पिछला शेष यदि कोई हो	प्राप्त किया	विक्रय/ वितरित किया गया	अतिशेष		

तारीख:

हस्ताक्षर

कम्पनी की मुहर

अभिलेख के साथ सत्यापित किया गया और यह पाया गया कि उपरोक्त सूचना सही है।

कीटनाशी निरीक्षक की तारीख और मुहर के साथ हस्ताक्षर

परिशिष्ट ग1

तकनीकी श्रेणी कीटनाशी का स्टॉक रजिस्टर

(कीटनाशीवार अभिलेख रखा जाना चाहिए)

[नियम 15 का उपनियम-3 देखिए]

(मीट्रिक टन में परिमाण)

तारीख	**आरम्भिक अतिशेष**	**आयातित परिमाण**	**विनिर्मित परिमाण**	**कुल परिमाण (2+3+4)**	**विक्रय किया गया परिमाण**	**विनिर्मिति के लिए उपयोग किया गया परिमाण**	**कुल परिमाण (6+7)**	**अंतिम अतिशेष**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

परिशिष्ट ग2

सूत्रबद्ध कीटनाशी का स्टॉक रजिस्टर

(कीटनाशीवार अभिलेख रखा जाना चाहिए)

[नियम 15 का उपनियम-3 देखिए]

(मीट्रिक टन में परिमाण)

क्र.सं.	**तकनीकी श्रेणी कीटनाशी का आरम्भिक अतिशेष**	**आयातित/क्रय किए गए/अपवर्तित तकनीकी श्रेणी कीटनाशी**	**कुल तकनीकी श्रेणी कीटनाशी स्तंभ(2+3)**	**विनिर्मिति के लिए उपयोग किए गए कुल तकनीकी श्रेणी कीटनाशी**	**तकनीकी श्रेणी कीटनाशी का अतिशेष (4+5)**	**विनिर्मिति का आरम्भिक अतिशेष**	**विनिर्मिति/ आयातित किए गए परिमाण**	**कुल विनिर्मिति किए गए परिमाण**	**विक्रय किया गया परिमाण**	**अंतिम अतिशेष**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

IndiaCode

परिशिष्ट-घ1

[नियम 15 का उपनियम 4 देखिए]

तारीख से तारीख तक की अवधि के लिए (विनिर्मित/आयातित)

तकनीकी श्रेणी कीटनाशियों की मासिक विवरणी/विवरण

क्र.सं.	कीटनाशी का नाम	बैच संख्यांक	अवसान की तारीख	कुल आयात/ विनिर्मित किए गए परिमाण के ब्यौरे (मीट्रिक टन)	विनिर्मिति के लिए उपयोग किया गया परिमाण (मीट्रिक टन)	विक्रय किया गया (मीट्रिक टन) परिमाण, क्रेता का नाम, पता और अनुज्ञप्ति संख्यांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ कि ऊपर जो कथन किया गया है वह अभिलेख से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं(पदनाम) के रूप में अपनी हैसियत से इस विवरण को सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ। जानकारी असत्य पाए जाने के मामले में, मै अधिनियम /नियम के सुसंगत उपबधों के अधीन दाई होऊंगा।

हस्ताक्षर

नाम

मुहर

परिशिष्ट घ 2

[नियम 15 का उपनियम (4) देखिए]

तारीख से तारीख तक की अवधि के लिए विनिर्मित/आयातित

सूत्रबद्ध कीटनाशियों की मासिक विवरणी/विवरण

क्र.सं.	कीटनाशी सूत्रीकरण का नाम	बैच संख्यांक	अवसान की तारीख	सूत्रीकरण के लिए उपयोग किए गए तकनीकी ग्रेड कीटनाशी की कुल मात्रा का विवरण (मी.टन)	कुल सूत्रबद्ध /आयातित मात्रा (मी.टन)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ कि ऊपर जो कथन किया गया है वह अभिलेख से प्राप्त जानकारी के आधार पर मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं(पदनाम) के रूप में अपनी हैसियत से इस विवरण को सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ। जानकारी असत्य पाए जाने के मामले में, मै अधिनियम /नियम के सुसंगत उपबधों के अधीन दाई होऊंगा।

हस्ताक्षर

नाम

मुहर

<u>परिशिष्ट ड.</u>

कीटनाशियों से संबंधित कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों का रजिस्टर

कैलेंडर वर्ष 20...., की..... 20..... को समाप्त तिमाही के लिए

आवधिक चिकित्सा परीक्षण का अभिलेख

[नियम 37 देखिए]

IndiaCode

क्रम संख्यांक:

I. सामान्य सूचना

नाम: आयु:

पिता/पति का नाम:

सम्पूर्ण पता:

लिंग: पहचान चिह्न:

नियुक्ति की तारीख:

उपजीविका:

(कृपया विगत समय में और वर्तमान के कार्यों की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)

प्रदान की गई सुविधाएं:

(क) संरक्षी वस्त्र/समावेशक:

(ख) हेलमेट/टोप/टोपी:

(ग) धूल रोधक चश्में:

(घ) तरल अपारगम्य रबर के दस्ताने:

(ङ) श्वसन उपकरण:

(च) जूते:

II. चिकित्सा परीक्षण

पिछला वृत्तांत

बीमारी	विषाक्तता	एलर्जी	कीटनाशियों के संपर्क में आना (सम्मिश्रण)	वर्षों की संख्या/कारण	टिप्पणियां यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

पारिवारिक वृतांत

एलर्जी	मनोवैज्ञानिक विकार	रक्तस्रावी(हेमोरेजिक) विकार
(1)	(2)	(3)
वैवाहिक स्थिति	बालकों की संख्या -बालकों की स्वास्थ्य स्थिति और कोई जन्म विकार ,यदि कोई हो	कोई स्वास्थ्य सम्बन्धी शिकायत
(4)	(5)	(6)

व्यक्तिगत वृतांत

धूम्रपान	अल्कोहल	अन्य व्यसन
(1)	(2)	(3)
वैवाहिक स्थिति	बालकों की संख्या -बालकों की स्वास्थ्य स्थिति और कोई जन्म विकार ,यदि कोई हो	कोई स्वास्थ्य सम्बन्धी शिकायत
(4)	(5)	(6)

संप्रेक्षण

चिकित्सा परीक्षण	पूर्व-नियोजन परीक्षण	पहली तिमाही की समाप्ति अर्थात 3 मास पश्चात	दूसरी तिमाही के पश्चात अर्थात, 6 मास पश्चात	तीसरी तिमाही के पश्चात अर्थात, 9 मास पश्चात	वर्ष के अन्त में	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1. **सामान्य परीक्षण**

(क) लम्बाई

(ख) वजन

(ग) नाड़ी

(घ) रक्त दाब

(ङ) श्वसन: दर,आवर्तिता ,प्रकार

(च) अरक्तता

(छ) शौध

(ज) पीलिया

(झ) त्वचा की स्थिति

MediaCode

(ञ) ताप

(ट) कुलानितशीलता(थकान)

(ठ) श्वेदन

(ड) निद्रा

(ढ) मूत्र

2. **जठरांत्र**

(क) मचली

(ख) वमन

(ग) क्षुधा

(घ) स्वाद

(ङ) उदर वेदना

(च) आंत गति

(छ) जिगर

(ज) तिल्ली

3. **हृदय-श्वसन**

(क) नासा स्राव

(ख) घरघराहट

(ग) कफ

(घ) खखार

(ङ) छाती का खिंचाव

(च) श्वसारोध

(छ) धड़कन

(ज) हृदय

(झ) देहनीलता

(ञ) अतिहतस्पंदन/मंदनाड़ी

4. **स्नायु-मांसपेशीय**

(क) शिरोवेदना

(ख) घुमनी

(ग) चिड़चिड़ापन

(घ) वेदना

(ङ) स्फुरण

IndiaCode

(च) कम्पन

(छ) ऐंठन

(ज) विकृतानुभूति

(झ) दृष्टिभ्रम

(ञ) चेतनाहीनता

(ट) गंभीर स्वत: क्रिया

(ठ) उपरिष्ट स्वत: क्रिया

(ड) समन्वय

5. **नेत्र**

(क) पुतली

(ख) अक्षु स्त्रवण

(ग) द्विदृष्टि

(घ) धुंधली दृष्टि

6. **मनोवैज्ञानिक**

(क) स्वभाव

(ख) निर्णय

(ग) विक्षोभ

7. **वृक्क**

(क) वृक्क दशा

8. **अन्वेषण**

(क) सम्पूर्ण हेमोग्राम (एचबी, टीआरबीसी, टीएलसी, डीएलसी, प्लेटलेट, रेटिकूलासाइटिस काउंट, ईएसआर)

(ख) यकृत कार्य परीक्षण (सीरम बिलीरूबिन, एसएपी, एजीओपी, एसजीपीटी, कोलेस्ट्रॉल, कुल प्रोटीन और सीरम अल्बूमिन)

(ग) वृक्क कार्य परीक्षण

(घ) रक्त मधुमेह, एचबीए1सी

(ड.) *सीरम कोलिनेस्टरेज

(च) **रक्त अवशेष अनुमान (ऑरगेनोक्लोराईन के मामले में वर्ष में एक बार)

(छ) मूत्र-दैनिक सूक्ष्मदर्शीय

(ज) छाती का एक्सरे (पीएव्यू)-वर्ष में एक बार

(झ) पूरे पेट का अल्ट्रासाउण्ड: वर्ष में एक बार

IndiaCode

*आर्गेनोफोस्फोरस/कार्बोमेट समूह के कीटनाशियों की दशा में सीरम कोलिनोस्टरेज स्तर का मापन छह माह में किया जाना चाहिए।

**कीटनाशियों के आर्गेनोफोस्फोरस समूह में रक्त अवशेष मापन वर्ष में एक बार किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त के दृष्टिगत चिकित्सक की सामान्य टिप्पणियां।

*आर्गेनोफोस्फोरस/कार्बोमेट समूह के कीटनाशियों की दशा में सीरम कोलिनोस्टरेज स्तर का मापन मासिक अंतरालों पर किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त परीक्षा को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर की सामान्य टिप्पणियां

3. निदान

4. निम्नलिखित को सलाह दी गई

1. रोगी:

2. नियोजक

चिकित्सक के हस्ताक्षर

तारीख और मुहर के साथ

5. निम्नलिखित के द्वारा अभिस्वीकृति दी जाएगी

1. रोगी:

2. नियोजक:

3. अनुज्ञापक अधिकारी

6. चिकित्सक के परामर्श पर नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई

7. चिकित्सक द्वारा प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स ने मेरे/चिकित्सक द्वारा दिए गए उपरोक्त परामर्श के अनुसार कार्रवाई पूरी कर ली है और परिणामस्वरूप रोगी की बीमारी में सुधार/पुन: निरोग दर्शित हुआ है।

चिकित्सक के हस्ताक्षर

तारीख और मुहर के साथ

टिप्पण: आर्गेनोक्लोरीन समूह के कीटनाशियों की स्थिति में रक्त अवशेष प्राक्कलन एक वर्ष में एक बार किया जाना चाहिए।

प्रपत्र-IV

कीटनाशी विश्लेषक की रिपोर्ट

[नियम 24 का उप नियम (3) देखिए]

क्रम. सं.

भाग क- संहिताकृत भाग

1. कीटनाशी निरीक्षक का नाम जिससे

नमूना प्राप्त किया गया:

IndiaCode

2. कीटनाशी निरीक्षकों के ज्ञापन की

क्रम संख्यांक और तारीख:

3. नमूने का ब्यौरा:

(क) उन तकनीकी श्रेणी के कीटनाशक (कीटनाशकों)

का नाम जिनका नमूने में पाए जाने का उल्लेख

किया गया है और उसकी आंशिक मात्रा तथा तैयार

करने का तरीका:

(ख) बैच संख्यांक:

(ग) विनिर्माण की तारीख:

(घ) अवसान की तारीख:

4. कीटनाशी निरीक्षक द्वारा समनुदेशित नमूने की पहचान संख्या या चिह्न:

5. नमूने की पैकेजिंग:

(क) क्या सुरक्षात्मक रूप से पैक, बंधा हुआ और सीलबन्द था:

(ख) क्या केवल बाहरी आवरण सीलबन्द था:

(ग) क्या केवल नमूने को सीलबंद किया गया था:

(घ) क्या बाहरी आवरण और नमूने दोनों सीलबंद थे:

(ङ) क्या सील अक्षत और अखण्डित थी:

(च) क्या नमूने और बाहरी आवरण पर सील

(जैसा भी मामला हो) नमूना सील के

साथ मेल खाती थी:

(छ) पार्सल में नमूने की पैकेजिंग का सामान्य ब्यौरा दें:

(ज) क्या नमूना विश्लेषण के लिए उपयुक्त पाया गया :

6. उपरोक्त वर्णित नमूने को प्रयोगशाला कोड संख्यांक दिया गया:

कोर्डिंग अधिकारी के हस्ताक्षर

मुहर के साथ

*कोर्डिंग अधिकारी के रूप में अधिसूचित कीटनाशी विश्लेषक (प्रयोगशाला प्रभारी) द्वारा भरा जाए और हस्ताक्षरित किया जाए।

IndiaCode

भाग-ख विश्लेषण प्रभाग

7. नमूने के लिए प्रयोगशाला कोड संख्यांक:

क्र.सं.	परीक्षण	अपेक्षाएं	परिणाम
(क)	सक्रिय संघटक: (ग्राफ संलग्न करें, यदि लागू हो)		
(ख)	अन्य परीक्षण:		
	(i)		
	(ii)		
	(iii)		
	(iv)		

8. परीक्षण (परीक्षणों) के लिए लागू किए गए न्याचार:

(क) सक्रिय संघटक (संघटकों) के लिए:

(क) यदि प्रकाशित किए गए, भारतीय मानक ब्यूरो संख्यांक:

(ख) यदि नहीं, पंजीकरण समिति द्वारा अनुमोदित रीति:

(ख) अन्य परीक्षणों के लिए:

9. नमूने के परीक्षण/विश्लेषण पूर्ण किए गए:

टिप्पणियां: 1. न्याचार की बाबत् नमूने के परीक्षण/विश्लेषण के परिणाम को देखते हुए, नमूना के रूप में घोषित किया गया है।

2. मानकों के लिए क्रोमाटोग्राम/स्पेक्ट्रा की फोटो प्रतियां (किए गए परीक्षण पर लागू न्याचार के अनुसार जैसा लागू हो) और नमूना इसके साथ संलग्न है।

कीटनाशी विश्लेषक के हस्ताक्षर

मुहर

सत्यापन

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने पूर्वोक्त वर्णित नमूने का विश्लेषण किया है/विश्लेषण करवाया है और घोषणा करता हूँ कि विश्लेषक के परिणाम पूर्वोक्त वर्णित के रूप में हैं।

तारीख, 20 को हस्ताक्षरित किया गया।

कीटनाशी विश्लेषक के हस्ताक्षर

मुहर

IndiaCode

प्ररूप-V

प्ररूप जिसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह

अपने कब्जाधीन किसी स्टाक का निपटान न करे और अभिगृहित कीटनाशियों की रसीद

V (क): आदेश का प्ररूप 'किसी स्टाक का निपटान न करे' [नियम 30 देखिए]

मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि निम्नलिखित कीटनाशियों का स्टाक, जो आपके कब्जे में है, कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा के या कीटनाशी नियम, 1971 के के उपबंधों के उल्लंघन में स्टाक, वितरण, विक्रय या विक्रय के लिए प्रदर्शन और उपयोग किया गया है:-

क्र.सं.	सम्पूर्ण ब्यौरों के साथ कीटनाशी का नाम	के द्वारा विनिर्मित किया गया	बैच संख्यांक	विनिर्माण की तारीख और अवसान की तारीख	तारीख पर यथा स्टाक परिमाण (यूनिट भी उपदर्शित करें)	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

मैं आपसे कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 21 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन अपेक्षा करता हूँ कि आप उक्त स्टाक का इस तारीख से20..... से दिन की अवधि तक वितरण, विक्रय या विक्रय के लिए प्रदर्शन या उपयोग रोक दें।

कीटनाशी निरीक्षक

मुहर

Indiacode

V (ख) अभिगृहित कीटनाशियों की रसीद का प्ररूप

[नियम 32 देखिए]

मैंने आज तारीख20..... को मैसर्स.....के..... स्थित परिसर से कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 21 की उप धारा (1) के खंड (घ) के उपबंधों के अधीन कीटनाशी का स्टाक अभिगृहित किया, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	सम्पूर्ण ब्यौरे जैसे शुद्धता विनिर्मिति का प्रकार आदि के साथ कीटनाशक का नाम	के द्वारा निर्मित	बैच संख्यांक	विनिर्माण की तारीख और अवसान की तारीख	तारीख पर स्टाक का परिमाण (यूनिट भी उपदर्शित करें)	टिप्पणियां (स्टाक रजिस्टर का पृष्ठ/फोलियो संख्यांक उल्लिखित करें)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

मैंने कीटनाशी के स्टाक रजिस्टर के पृष्ठ/फोलियो संख्यांक पर तारीख व मुहर के साथ हस्ताक्षर कर दिए है और अभिलेख के लिए उसकी एक कापी ले ली है।

तारीख:

कीटनाशी निरीक्षक

मुहर

V (ग): उस व्यक्ति/अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करना जिससे नमूना लिया गया है

[नियम 33 देखें]

सेवा,

मैसर्स

.....

पिन

मैंने आज तारीख20..... को परिसर (अनुज्ञप्ति संख्यांक तारीख), जो में स्थित है, से नीचे विनिर्दिष्ट कीटनाशी के नमूने परीक्षण या विश्लेषण हेतु लिए हैं:

1. कीटनाशी का सामान्य नाम:

(सम्पूर्ण ब्यौरे, जैसे विनिर्मिति का प्रकार उल्लिखित करें)

2. व्यापारिक नाम, यदि कोई हो:

3. द्वारा विनिर्मिति की गई:

4. पंजीकरण संख्यांक:

5. द्वारा बेची गई:

6. वितरण अनुज्ञप्ति संख्यांक:

7. बैच संख्यांक:

8. विनिर्माण की तारीख:

9. अवसान की तारीख:

10. नमूने के पहले स्टाक:

(यूनिट में उल्लिखित करें)

11. लिए गए नमूने का परिमाण:

(यूनिट में उल्लिखित करें)

12. नमूने के पश्चात स्टाक

(यूनिट में उल्लिखित करें)

13. स्टाक रजिस्टर के फोलियो/पृष्ठ संख्यांक:

14. कोई अन्य सुसंगत सूचना:

तारीख:

कीटनाशी निरीक्षक

मुहर

1. साक्षी के हस्ताक्षर.....

(तारीख, नाम और पता)

2. साक्षी के हस्ताक्षर.....

(तारीख, नाम और पता)

इस प्रपत्र की प्रति के साथ नमूने का एक सीलबन्द प्रभाग प्राप्त किया

सील और तारीख के साथ उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जिससे नमूना लिया गया है।

IndiaCode

V (घ): सीलबंद पैकेट में नमूने के साथ रखा जाने वाला प्ररूप

[नियम 34 का उप नियम (1) देखिए]

सेवा में,

कीटनाशी विश्लेषक,

.....

.....

1. कीटनाशी का नाम (सामग्री प्रतिशत और फार्मूलेशन प्रकार के साथ सामान्य नाम):
2. बैच संख्या:
3. विनिर्माण की तारीख:
4. अवसान की तारीख:
5. पैकिंग स्थिति (वास्तविक सील की गई/खुली):
6. नमूने की मात्रा:
7. नमूना लिये जाने की तारीख:
8. जिसके द्वारा नमूना लिया गया:
9. कीटनाशी निरीक्षक/लाईसेंसधारी की विशिष्ट सील:
10. सैंपल के सील किये गये पैकेट पर विशिष्ट चिन्ह:

दिनांक:

कीटनाशी निरीक्षक

(हस्ताक्षर और सील)

V (ङ) कीटनाशी विश्लेषक को ज्ञापन

[नियम 34 का उप नियम (1) देखिए]

सेवा में,

.....

(कीटनाशी निरीक्षक का नाम, सम्पूर्ण पता और ई-मेल आई.डी.)

सेवा में,

कीटनाशी विश्लेषक /परीक्षण प्रयोगशाला का प्रभारी

.....

.....

पिन:

1. नीचे वर्णित नमूने/आधान के प्रभाग को कीटनाशी नियम, 1971 के नियम 34 के अधीन परीक्षण या विश्लेषण के लिए भेजा जा रहा है।

(क) कीटनाशी का सामान्य नाम:

(सम्पूर्ण ब्यौरे उल्लिखित करें, जैसे-अभिहित अन्तर्वस्तु,

विनिर्मिति के प्रकार, आदि)

IndiaCode

(ख) नमूने की पैकिंग का उल्लेख करें:

(ग) निरीक्षक की मुहर का नमूना प्रभाव:

2. नमूने/आधान के भाग को मेरे द्वारा निम्नलिखित संख्यांक समनुदेशित या चिह्न के साथ चिह्नांकित किया गया है:

(संख्यांक या चिह्न यहां दें)

3. इस ज्ञापन की एक प्रति, प्रपत्र V(घ) की प्रति के साथ अलग से हाथ से या पंजीकृत डाक द्वारा आपको भेजी गयी (जो लागू न हो उसे काट दें)है।

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 20 अप्रैल, 2018

कीटनाशी निरीक्षक

हस्ताक्षर मुहर

[फा. सं. 13028/02/2017-पीपी-I]

डॉ. बी. राजेंद्र, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1650(अ), तारीख 19 अक्टूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए:-

1. सा.का.नि. 474(अ), तारीख, 24 जुलाई, 1976

2. सा.का.नि. 736(अ), तारीख, 09 दिसम्बर, 1977

3. सा.का.नि. 1064(अ), तारीख, 07 नवम्बर, 1988

4. सा.का.नि. 533(अ), तारीख, 06 अगस्त, 1993

5. सा.का.नि. 371(अ), तारीख, 20 मई, 1999

6. सा.का.नि. 372(अ), तारीख, 20 मई, 1999

7. सा.का.नि. 586 (अ), तारीख, 12 अगस्त, 1999

8. सा.का.नि. 548(अ), तारीख, 12 सितम्बर, 2006

9. सा.का.नि. 692(अ), तारीख, 07 नवम्बर, 2006

10. सा.का.नि. 128(अ), तारीख, 26 फरवरी, 2009

11. सा.का.नि. 174(अ), तारीख, 05 मार्च, 2010

12. सा.का.नि. 474(अ), तारीख, 11 जुलाई, 2013

13. सा.का.नि. 797(अ), तारीख, 13 नवम्बर, 2014

14. सा.का.नि. 840(अ), तारीख, 5 नवम्बर, 2015,

15. सा.का.नि. 164(अ), तारीख, 15 फरवरी, 2016

16. सा.का.नि. 794(अ), तारीख, 12 अगस्त, 2016

17. सा.का.नि. 79(अ), तारीख, 27 जनवरी, 2017

18. सा.का.नि. 106(अ), तारीख, 01 फरवरी, 2017

19. सा.का.नि. 1229(अ), तारीख, 04 अक्टूबर, 2017 और

20 सा.का.नि. 1588(अ), तारीख, 22 दिसम्बर,2017

IndiaCode

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2018

G.S.R. 399(E).—Whereas the draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) was published in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare) vide G.S.R. 1438 (E), dated the 2nd November, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), dated the 23rd November, 2017, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on 23rd November, 2017;

And whereas, no objection or suggestion has been received from the public in respect of the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Insecticides Rules, 1971, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Insecticides (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971, (hereinafter referred as the said rules).-

(A) in rule 6.-

(i) for sub-rule (4), the following rule shall be substituted, namely: –

"4. The certificate of registration shall be issued in the format as approved by the Registration Committee with such conditions as specified therein.";

(ii) in sub-rule (4A), for the word and figures "form III", the words "in the format as approved by the Registration Committee" shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 7-

(i) in sub-rule (1), the words and figures "in Form IV" shall be omitted;

(ii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted namely: -

"2. The appeal shall be in writing duly signed by the appellant and shall clearly indicate, name, address and e-mail of the appellant, name of insecticides to which appeal pertains, date of the decision of the Registration Committee appealed against, whether the appeal is within prescribed period of limitation, particulars of the fee deposited, complete statement of facts with supporting documents, grounds for appeal, and the relief claimed".

4. In the said rules, in rule 9,-

(i) in sub-rule (1), for the word and figure "Form V", the word and figures "Form II" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (3), -

(a) for the word and figures "Form VI", the word and figures "Form III" shall be substituted;

(b) in clause (v), after the words "time being in force", the words "including the conditions of license" shall be inserted.

5. In the said rules, in rule 10, -

(i) in sub-rule (1), for the word and figures "Form VII", the word and figures "Form II" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (3A),-

(a) in clause (i), for the word and figures "Form VII", at both the places where they occur, the word and figures "Form II" shall be substituted;

(b) in clause (ii), for the word and figures "Form VIII", the word and figures "Form III" shall be substituted;

(iii) in sub rule (4),-

(a) for the word and figures "Form VIII", the word and figures "Form III" shall be substituted;

(b) in clause (ii), after the words "time being in force", the words "including the conditions of license" shall be inserted;

(iv) in sub-rule (4A), for the word and figures "Form IX", the word and figures "Appendix to Form II" shall be substituted;

(v) for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"7. The licensee shall maintain all the records or registers in the formats as prescribed in the Appendices to the licence and the licensing officer shall conduct inspection of infrastructure, premises, stocks and records at least once in every two years".

6. In the said rules, in rule 10 A, in clause (a), for the word and figures 'Form XI', the word, letter and figures "Appendix A to Form III" shall be substituted.

7. In the said rules, in rule 15,-

(i) in sub-rule (2),-

(a) for the word and figures "Form XII and Statewise", the words, letter and figures "Appendix B to Form III" shall be substituted;

(b) the word and figures "in Form XIV" shall be omitted;

(ii) in sub-rule (3),-

(a) for the word and figures "Form XIII", the word, letter and figures "Appendix C1 to Form III" shall be substituted;

(b) for the word and figures "Form XIV", the words, letter and figures "Appendix C2 to Form III" shall be substituted;

(iii) in sub-rule (4);-

(a) for the word and figures "Form XV", the words, letter and figures "Appendix D1 to Form III" shall be substituted;

(b) for the word and figures "Form XVI", the word, letter and figures "Appendix D2 to Form III" shall be substituted.

8. in the said rules, in rule 24, in sub-rule (3), for the word and figures "Form XVII", the word and figures "Form IV" shall be substituted.

9. in the said rules, in rule 30, for the word and figures "Form XVIII", the word, figure, brackets and letter "Form V(A)" shall be substituted.

10. in the said rules, in rule 32, for the word and figures "Form XIX", the word, figure, brackets and letter "Form V(B)" shall be substituted.

11. in the said rules, in rule 33, for the word and figures "Form XX", the word, figure, brackets and letter "Form V(C)" shall be substituted.

12. In the said rules, in rule 34,-

(i) in sub-rule (1), for the words and figures "Memorandum in Form XX", the word, figure, brackets and letter "Form V(D)" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (3), for the word and figures "Form XXI", the word, figure, brackets and letter "Form V(E)" shall be substituted.

13. In the said rules, in rule 37,-

IndiaCode

(i) in sub-rule (1), for the word and figures "Form XXII", the words, letter and figures "Appendix E to Form III" shall be substituted.

14. In the said rules, for "THE FIRST SCHEDULE", the following Schedule shall be substituted, namely: -

"THE FIRST SCHEDULE

FORM 1

APPLICATION FOR REGISTRATION OF INSECTICIDES

[See rule 6]

1. (a) Name and address of the applicant:

(b) e-mail address:

(c) Permanent Account Number (PAN).:

(d) Category of Application:

2. Name of the Insecticide which applicant proposes to import or manufacture:

a) Common name

b) Chemical name (CAS and IUPAC name, if available)

c) CAS Number

3. Purpose of Registration:[whether for use in the country or export only or both]

4. Nature of application:

(a) import or manufacture:

(b) registration under section 9(3)/9(3B)/9(4) of the Insecticides Act, 1968:

(c) name of registrant, if equivalence is claimed:

(d) specify applicable guidelines:

5. Address of the premises -

(a) of manufacture:

(b) where imported insecticide shall be converted into preparation or repacked or stock:

6. In the case of import, please state: -

(a) Name and address of the manufacturer:

(b) Name, address and e-mail id of the authority which authorised manufacturing in the country of export:

(c) Name and address of the supplier duly authorised by the manufacturer (if applicable)

(d) Is the insecticide registered in the country

(i) of manufacture:

(ii) from where supplies are expected to be made:

(e) Registration number, manufacturing license number, period of validity of certificate of registration and manufacturing license in the country of manufacture:

7. In the case of manufacture, whether the insecticide is proposed to be manufactured or repacked:

IndiaCode

8. In the case of formulation, the sources of supply of technical grade material and status of registration in India

9. Chemical Composition (on per cent basis):

(a) Name of active ingredient(s):

(b) Impurities (in case of technical grade insecticide)

(c) adjuvant (other ingredients, in case of formulation):

(d) Total:

10. Stability in storage:

(a) Shelf life:

(provide data as per the protocol approved by the Board)

(b) Shelf life claim:

(provide shelf-life undertaking)

11. Toxicity of the insecticide to mammals, wild life, aquatic animal: (provide toxicological data generated at a testing facility

as per the guidelines of the Registration Committee)

12. Bio-efficacy data as per guidelines of Registration Committee on plant diseases, insects, weeds and other harmful animals against which it is intended to be used: (provide data generated at testing facilities approved by the Registration Committee)

13. Specific instructions for storage and use including first-aid and precautionary measures, which are proposed for labeling:

(As per the Insecticide Rules and the guidelines of the Registration Committee)

14. (a) Two copies of proposed specification

(including method of analysis for the quality of

the insecticide in Bureau of Indian Standard format and

its residues along with one soft copy)

(b) Analytical test report(s) of a sample of insecticide applied for registration from a testing facility

as per guidelines of the Registration Committee

(provide complete details, graphs, spectra, calculations, etc.)

(c) Characterisation of active ingredient in case of technical grade insecticide (using Ultra Violet, Infra Red, Mass and Nuclear Magnetic Resonance spectra)

15. Seven copies of the proposed labels and leaflets (including all printed or graphic matter which will accompany the package containing the insecticide) as per the Insecticide Rules, 1971.

16. Manner of packing:

17. Particulars of the fee deposited:

Signature of the applicant with seal

IndiaCode

Verification

I _____s/d/o _____do hereby solemnly verify that to the best of my knowledge and belief the information given in the application and the annexure and statements/accompanying it, is correct and complete. I clearly understand that the certificate of registration is liable to be cancelled if any information or data, submitted with the application is found incorrect or false at any stage or any condition of registration granted against this application is violated.

I further declare that I am making this application in my capacity as _____ and that I am competent to make this application and verify it by virtue of _____, an attested copy of which is enclosed herewith.

Place:

Date:

Signature with seal

Note : (1) The application form, including the verification portion and Supplementary Information, must be signed in case of an individual, by the individual himself or a person duly authorised by him; in case of Hindu Undivided Family, by the karta; in case of a partnership firm, by the managing partner; in case of a company, by a person duly authorized by the Board of Directors; and in any other case, by a person incharge of or responsible for the conduct of the business.

(2) One self-addressed stamped envelope and adequate number of stamped envelopes, depending on the states where manufacturing premises is/are located must be enclosed along with the application.

FORM II

APPLICATION FOR

(1) GRANT OF LICENSE TO MANUFACTURE INSECTICIDES

[*See* Sub-rule (1) of Rule 9]

Or

(2) GRANT OF LICENCE TO SELL, STOCK OR EXHIBIT FOR SALE OR DISTRIBUTE INSECTICIDES, [See Sub- rule (I) of Rule 10]

Or

(3) GRANT/RENEWAL OF LICENCE TO STOCK AND USE OF INSECTICIDES COMMERCIAL PEST CONTROL OPERATIONS

[See sub-rules (3A) of rule 10]

(Submit separate application for different licence)

Photo of applicant

To

The Licensing Authority,

1. Name, address and e-mail address of the applicant:

2. Whether the application is for

(a) Grant of Licence to manufacture insecticide;

(b) Grant of licence to sell/stock/exhibit for sale/distribution of insecticides:

(c) Grant/renewal of licence for commercial pest control operations

3. Address of manufacturing premises (in case of licence to manufacture)

i) Complete address of premises,

ii) Name of insecticides and its registration number (enclose copy of certificate of registration of the insecticide duly certified by the applicant)

iii) Validity of certificate of registration (as on certificate of registration)

4. Complete address (including name of the lane, PIN Code, etc.) of the premises, where the insecticide(s) shall be

a) stored/stocked:

b) sold or exhibited for sale or issued for use in case of commercial pest control operations:

c) whether any of the above premises is situated in residential area (undertaking to be submitted):

d) whether food articles are also stored in any of the above premises (undertaking to be submitted):

5. a) Qualification of the applicant/ the technical personnel under employment of the applicant:

Sl.No.	Name and designation	Qualification	Experience

b) Whether fulfill minimum qualification as per Insecticide rules.

6. Training (wherever applicable)

(a) Name of the training/course:

(b) Duration of training/ course:

(c) Certificate awarded, if any: (Enclose supporting documents)

7. In case of manufacture, details of facilities for manufacture of the insecticide, including infrastructure and those mentioned in Chapter VIII of the Insecticides Rules, 1971, and the minimum infrastructure guidelines provided by the Registration Committee.

(Enclose complete details in a separate sheet duly signed by the applicant)

8. In case of application for commercial pest control operations,

(Enclose supporting documents)

(a) address of registered, zonal and branch offices:

(b) address of the premises for which the license is applied for:

(c) whether approval of technical expertise obtained:

(d) if yes, state reference number of approval, its date and validity:

(e) name of restricted insecticides for which approved:

(f) name of the responsible technical person:

(g) whether any quantity of restricted insecticide in possession as on date of application:

(h) if yes, particulars and respective quantity of each in possession:

(i) details of safety equipment, antidotes and all other essential facilities:

9. In case of licence to sell/stock etc. and for commercial pest control operations, name of the insecticide(s) and its/their manufacturer/importer which the applicant intends to deal in and status of the principal certificate(s) in the format give below (Please enclose principle certificate(s) as per format Appended):

Sl. No.	Particulars of Insecticide	Name of the Manufacturer/ Importer	Number of certificate of registration	Detailed principal certificate number /date of issue/validity
1	2	3	4	5

10. Full particulars of licence(s), if issued in the name of the applicant by any other state in the area of their jurisdiction:

11. In case of renewal, please state licence number and date of grant:

12. Particulars of the application fee paid by the applicant:

13. Any other relevant information:

IndiaCode

Signature of the applicant with seal

Declaration

(Strike out which is not applicable)

a) I _____s/d/o_____do hereby solemnly verify that the information given in the application and the annexures and statements accompanying it is correct and complete to the best of my knowledge and belief and that nothing has been concealed. I clearly understand that this license is liable to be cancelled, if any information, or part thereof, is found to be wrong, fake or false at any stage or any condition of license is violated.

b) I declare that we have adequate space and facilities to stock insecticides, so as to maintain their quality on shelf.

c) I shall not supply insecticide(s) to any distributor or dealer or person who does not have adequate space and facilities to stock them so as to maintain their quality on shelf under every circumstances. (for application for licence to manufacture)

d) I also declare that I shall not take possession of any stock without satisfying myself with the quality thereof.

e) I undertake that we shall forthwith inform any change in the responsible technical person.

f) I undertake that we shall forthwith inform any change in principle certificate to the licensing officer (not applicable for application for licence to manufacture)

g) I further declare that I am making this application in my capacity as _____ and that I am competent to make this application and verify it by virtue of _____, an attested copy of which is enclosed herewith. I further declare that I shall abide by the conditions laid down in the license and failure to do so shall render the license liable to cancellation.

Place:

Date:

Signature of the applicant with seal

APPENDIX

PRINCIPAL CERTIFICATE

(enclose with application wherever applicable)

[*See* clause (i) of sub-rule (4A) of rule 10]

(On the Letterhead of the Manufacturer)

No._____ Date:

1. We manufacture the following insecticide(s) as per the details given below:

Sl. No.	Name of the insecticide (**Mention trade name, if any, in parenthesis**)	Address of the manufacturing premises	Licence number	Date of issue	Valid upto	Name and address of the licensing authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

2. We hereby authorise M/s (Name, complete address & email) _____to sell, stock or exhibit for sale or distribute following insecticides, manufactured by us, in wholesale or retail in the Taluka/District/State as detailed below:

Sl. No.	Common name of insecticide (Mention trade name, if any, in parenthesis)	Registration number and date of issue and validity	Manufacturing License number and date of issue, validity if any	Name of Taluka and District & State
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

3. The above mentioned dealer shall obtain the above-detailed insecticides

(a) directly from us:

(b) from the following distributor(s):

Sl. No.	Name of distributor(s)	Complete Address, phone No. & email of the distributor (s)	License number and date w.r.t. distribution of above insecticides	Date of validity of the licence	Complete address of the premises, where the distributor is stocking insecticides
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

4. The Dealer to whom this principal certificate has been issued shall procure above-detailed insecticides from the above mentioned distributor. In the event of procuring these insecticides from any other distributor, this certificate shall become null and void.

Before issuing this certificate, we certify that we have inspected and ensured that the above mentioned distributor / dealer have adequate space and facilities to stock safely above-detailed insecticides and to maintain their quality on shelf and have obtained an undertaking to the effect that the insecticide(s) shall be stocked accordingly to maintain their quality on shelf under every circumstances

5. This certificate has been issued to enable the distributor/dealer obtain licence to sell, stock or exhibit for sale or distribute the above-detailed insecticides, including those for stocking and use for commercial pest control operations, and is valid up to _____.

6. In case of suspension/ revocation…….(date of validity).

Date:

Place:

Signature with

company's seal

To,

Name and address of distributor/dealer.

Copy for information to:

(i) the licensing officer, _____.

(ii) M/s (the distributor and his address), if the insecticides are to be supplied through distributors)

Signature with company's seal

IndiaCode

FORM III

(On Letterhead of the Licensing Officer)

LICENCE TO MANUFACTURE INSECTICIDES

[*See* sub-rule (3) of rule 9]

Or

LICENCE TO SELL, STOCK OR EXHIBIT FOR SALE OR DISTRIBUTE INSECTICIDES,

[See sub-rules (4) of rule 10]

Or

STOCK AND USE OF INSECTICIDES FOR COMMERCIAL PEST CONTROL OPERATIONS

[See sub-rules (3A) of rule 10]

(Separate licence to be issued for manufacture/sale, stock etc. / pest control operations)

1. License Number _____

License to manufacture / sell, stock or exhibit for sale or distribute insecticide(s) / carrying out commercial pest control operations in the premises situated at

(Complete address alongwith PIN Code)

is granted to M/s (Name, Complete Address, e-mail etc.,)

as specified hereunder: -

Sl. No.	Particulars of the insecticide	Number of Certificate of Registration	Date of grant of Licence	Validity of Licence, wherever applicable
1	2	3	4	5

2. The insecticide(s) shall be manufactured / sell, stock or exhibit for sale or distribute insecticide/commercial pest control operations under the direction and supervision of the following expert staff:

a) For manufacture: Name(s) and designation of the expert staff (Insecticide wise, if any); and

b) For sale / stock / pest control operations: Name and designation of the expert staff

3. The licence is subject to such conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Insecticides

Act, 1968 as well as the conditions on the certificate of registration and others as stated below.

Signature of the Licensing Officer Seal

CONDITIONS

1. This licence shall be displayed in the prominent place in the premises for which the licence is being issued and shall be produced for inspection as and when required by an Insecticide Inspector, licensing officer or any other officer authorised by the Government in this regard.
2. Any change in the name of the expert staff, named in the licence, shall forthwith be reported to the licensing officer.
3. The licensee shall scrupulously comply with each and every condition of registration of the insecticide(s), failing which the licence is liable to be cancelled.
4. No insecticide shall be sold or exhibited for sale or distributed or issued for use in commercial pest control operations except in packages approved by the Registration Committee from time to time.
5. If the licensee wants to manufacture / sell, stock or exhibit for sale or distribute / stock and use for commercial pest control operations, any additional insecticide, he may apply to the licensing officer for addition in the licence for each such insecticide on payment of the prescribed fee.
6. For pest control operations an application for the renewal of the licence shall be made as laid down in sub-rule (3A) of rule 10 of the Insecticides Rules, 1971.
7. The licensee shall comply with the provisions of the Insecticides Act, 1968, and the rules made there under for the time being in force.
8. The licence also authorizes the storage and stocking of insecticide(s) manufactured at the licensed premises, in the factory premises for sale by way of wholesale dealing by the licensee.
9. The licensee shall maintain the record of 'date expired insecticides' separately in the format as per Appendix A.
10. The licensee shall maintain the record of sale /distribution of insecticides in the format as per Appendix B and shall submit monthly return to the Licensing Officer.
11. The licensee shall maintain the stock register for technical and formulated products separately as per Appendix C1 and C2, respectively. (For manufacturer only)
12. The licensee shall submit the monthly return for technical grade and formulated insecticides separately as per Appendix D1 and D2, respectively. (For manufacturer only)
13. The licensee shall maintain a record of periodical medical examination of persons engaged in connection with insecticides as per Appendix E.

14. All the registers are to be kept under secured custody by the Licensee and shall be provided for scrutiny any time to the Insecticide Inspector, Licensing Officer or any other officer authorised by the Central Government and / or the State Government.

15. Any other condition(s) as specified by the licensing officer.

Signature of the licensing officer

Appendix A

REGISTER OF DATE EXPIRED PESTICIDES

[See sub-rule (a) of rule 10A]

Sl. No.	Name of insecticide Technical with min purity/ formulation type and % active ingredient	Batch number	Date of manufacture	Date of expiry	Name of manufacturer	Stocks received from and the quantity received (give unit details)	Invoice number and date vide which received	Quantity sold (give unit details)	Quantity balance (Give unit details)	How was the balance quantity disposed of?
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

India Code

Signature of the dealer with date and seal

Verified with the record and found that the above information is correct.

Place:

Date

Signature of the Insecticide Inspector(seal)

Appendix B

REGISTER FOR SALE/DISTRIBUTION OF INSECTICIDES (TECHNICAL AND FORMULATION) (INCLUDING INSECTICIDES USED IN COMMERCIAL PEST CONTROL OPERATIONS)

(RECORD TO BE MAINTAIMAINTAINED INSECTICIDE WISE)

[See sub rule (2) of rule 15]

Particulars of the insecticide:

Registration number:

Month and year:

Sl. No.	Date of receipt of the insecticide	Name of the manufacturer from whom received	Name of supplier/ distributor, if any, through whom received	Batch number	Date of manufacture	Date of expiry	Invoice details, number, date and quantity (metric tonnes) vide which supply received	Quantity (metric tonnes)				Bill number (name and address to whom sold/distributed) date and quantity sold/ distributed	Remarks
								Previous balance, if any	Received	Sold/ Distributed	Balance		

Date:

Signature

Company's seal

Verified with the record and found that the above information is correct.

Signature with date and seal of the Insecticide Inspector

IndiaCode

Appendix C1

STOCK REGISTER OF TECHNICAL GRADE INSECTICIDE (To be maintained Insecticide wise)

[See sub-rule (3) of rule 15]

(Quantity in metric tonnes)

Date	Opening balance	Quantity imported	Quantity manufactured	Total quantity (2+3+4)	Quantity sold	Quantity utilised for formulation	Total quantity (6+7)	Closing balance
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Appendix C2

STOCK REGISTER OF FORMULATED INSECTICIDE

(To be maintained insecticide-wise)

[See sub-rule (3) of rule 15]

(Quantity in metric tonnes)

Sl. No.	Opening balance of technical grade pesticide	Technical grade insecticide imported / purchased diverted	Total technical grade column (2+3)	Total technical grade used for formula-tions	Balance of technical grade insecti-cides (4+5)	Opening balance of formulations	Quantity formulated / imported	Total formulated quantity (7+8)	Quantity sold	Closing balance
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

IndiaCode

Appendix D1

[See sub rule (4) of rule 15]

MONTHLY RETURN / STATEMENT OF TECHNICAL GRADE INSECTICIDES (MANUFACTURED / IMPORTED) FOR THE PERIOD…….. TO …….

Serial Number	Name of the insecticide	Batch number	Date of expiry	Details of total Quantity imported/ Manufactured (Metric Tonnes)	Quantity utilized for formulations (Metric Tonnes)	Quantity sold (Metric Tonnes) With Name, address and licence number of purchaser
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

IndiaCode

VERIFICATION

I…… do hereby verify that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief based on information derived from the records. I further declare that I am competent to verify this statement in my capacity as …… (Designation). In case the information is found to be false, I shall be held responsible under relevant provisions of the Act / Rules.

Signature……..

Name……

Seal……...

Appendix D2

[See sub rule (4) of rule 15]

MONTHLY RETURN/ STATEMENT FOR FORMULATED INSECTICIDES (MANUFACTURED/IMPORTED) FOR THE PERIOD…….. TO …….

Serial Number	Name of the Insecticide formulation	Batch number	Date of expiry	Details of total Quantity of technical grade insecticide used for formulation (Metric Tonnes)	Total formulated / imported Quantity (Metric Tonnes)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

VERIFICATION

I…… do hereby verify that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief based on information derived from the records. I further declare that I am competent to verify this statement in my capacity as …… (Designation). In case the information is found to be false, I shall be held responsible under relevant provisions of the Act / Rules.

Signature……..

Name……

Seal……...

Appendix E

REGISTER OF PERSONS ENGAGED IN CONNECTION WITH INSECTICIDES

RECORD OF PERIODICAL MEDICAL EXAMINATION

FOR THE CALENDAR YEAR 20_____, QUARTER ENDING_____, 20____

[See rule 37]

Serial number:

I.GENERAL INFORMATION

Name: Age:

Father's /Husband's name:

Complete address:

Sex: Identification mark:

Date of appointment:

Occupation: ---------- (Please specify the nature of duty of the past and of the present)

Details of use Personnel Protective Equipments:

(a) Protective clothing/overalls:

(b) Helmet/hood/hat:

(c) Dust-proof goggles:

(d) Rubber gloves impermeable to liquids:

(e) Respiratory device(s):

(f) Boots:

II. MEDICAL EXAMINATION:

PAST HISTORY

Illness	Poisoning	Allergy	Exposure to pesticides (Compound)	No. of years/ seasons and days of exposure per year	Remarks, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

IndiaCode

FAMILY HISTORY:

Allergy	Psychological disorders	Hemorrhagic disorders
(1)	(2)	(3)
Marital Status	Nos. of Children –Health status of children & any birth defect, if any	Any other health related complaint
(4)	(5)	(6)

PERSONAL HISTORY :

Smoking	Alcohol	Other addiction
(1)	(2)	(3)
Marital Status	Nos. of Children –Health status of children & any birth defect, if any	Any other health related complaint
(4)	(5)	(6)

OBSERVATIONS :

Medical examination	Pre-employment examination	End of 1st quarter i.e. after 3	After 2nd quarter after 6 months	After 3rd quarter after 9 months	End of year	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

India Code

1. General Examination :

(a) Height
(b) Weight
(c) Pulse rate
(d) Blood pressure
(e) Respiration: rate , rhythm , type
(f) Anaemia/Pallor
(g) Oedema
(h) Jaundice
(i) Skin condition
(j) Temperature
(k) Fatigability
(l) Sweating
(m) Sleep
(n) Urination

2. Gastro Intestinal

(a) Nausea
(b) Vomiting

(c) Appetite
(d) Taste
(e) Pain in abdomen
(f) Bowel movement
(g) Liver
(h) Spleen

3. Cardio-respiratory

(a) Nasal discharge
(b) Wheeze
(c) Cough
(d) Expectoration
(e) Tightness of chest
(f) Dyspnoea
(g) Palpitation
(h) Heart
(i) Cyanosis
(j) Tachycardia/Bradycardia

IndiaCode

4. Neuro-muscular

(a) Headache
(b) Dizziness
(c) Irritability
(d) Twitching
(e) Tremors
(f) Convulsions
(g) Paresthesia
(h) Hallucinations
(i) Unconsciousness
(j) Superficial reflexes
(k) Deep reflexes
(l) Coordination

5. Eye

(a) Pupil
(b) Lacrimation
(c) Double vision
(d) Blurred vision

6. Psychological

(a) Temperament

(b) Judgment

(c) Nervousness

7. Kidney

Kidney Condition

8. Investigation

(a) Complete Haemogram : (Hb, TRBC, TLC, DLC, Platelet, Reticulacytes count, ESR)

(b) Liver Function Tests: (Serum Bilirubin, SAP, SGOT, SGPT, Cholesterol, Total Protein and serum albumin)

(c) Kidney Function Tests: (Blood urea, Serum creatinine)

(d) Blood Sugar, HbA1C

(e) *Serum cholinesterase

(f)** Blood residue estimation (In case of Organochlorine once in a year)

(g) Urine – routine & microscopic

(h) X- ray chest (PA View): Once every year

(i) Ultrasound whole abdomen: Once every year

IndiaCode

* Serum cholinesterase level should be measured at six monthly intervals in case of organophosphorus/carbamatic group of insecticides.

** In organochlorine group of insecticides the blood residue estimation should be done once a year.

General remarks of the doctor in the light of the above examination.

III. DIAGNOSIS

IV. ADVICE GIVEN TO

1. The employee
2. The employer:

Signature of the Doctor with date and seal

V. Acknowledgement to be given by

1. The employee
2. The employer:
3. The Licensing Officer:

VI. Action taken by the employer on Doctor's advice:

VII. Certificate by the Doctor:

Certified that M/s _____ have completed the action as per my/doctor's advice as given above and consequently the patient has shown mprovement/recovered from the ailment.

Signature of the Doctor with date and seal

FORM IV

REPORT OF INSECTICIDE ANALYST

[See sub rule (3) of rule 24]

Sl.No._____

Part-A Coding Portion*

1. Name of the Insecticides Inspector from whom the sample has been received:
2. Serial number and date of Insecticides Inspector's Memorandum:
3. Particulars of the sample:
 (a) Name of technical grade insecticide(s) purported to be contained in the sample along with nominal active ingredient content and type of preparation:
 (b) Batch number:
 (c) Date of manufacture:
 (d) Date of expiry:
 (e) Date of receipt of sample in the laboratory:
4. Number or mark of identification of the sample assigned by the insecticide inspector:
5. Packaging of the sample:
 (a) whether securely packed, fastened: and sealed:
 (b) whether the seal was on outer cover alone:
 (c) whether the seal was on the sample alone:
 (d) whether the seal was on both, outer cover and the sample:
 (e) whether the seal was intact and unbroken:
 (f) whether the seal on sample and outer cover

 (as the case may be) tallied with the specimen seal:
 (g) describe in general the packaging of the sample in the parcel:
 (h) whether the sample was found fit for analysis:
6. The above detailed sample was given Laboratory Code Number:

Signature of the Coding Officer with seal

* To be filled and signed by a notified Insecticide Analyst (Laboratory In-charge) functioning as Coding Officer.

Part-B Analysis Portion

7. Laboratory Code Number for sample:

Sl. No. Test	Requirement	Result
(a) Active ingredient(s): (enclose chromatograms spectra, if applicable)		

IndiaCode

(b) Other tests:

(i)

(ii)

(iii)

(iv).

8. Protocol(s) of the test(s) applied:

(a) For active ingredient(s):

(i) if published, Bureau of Indian Standards Number:

(ii) if not, method approved by the Registration Committee:

(b) For other tests:

9. Tests/analysis of the sample completed on (Date):

Remarks: 1. In view of the results of the test/analysis of the sample with respect to protocols thereof, the sample is declared as _____.

2. Photocopies of chromatograms/spectra (as applicable as per protocols of test applied) for standard and the sample are attached hereto.

Signature of the Insecticide Analyst Seal

Verification

I certify that I have analyzed /caused to be analyzed the aforementioned sample and declare the result of analysis to be as above.

Signed this _____ day of _____ , 20____.

Signature of the Insecticide Analyst Seal

FORM V

FORMS TO BE USED BY INSECTICIDE INSPECTORS FOR DRAWL OF SAMPLES, NOT TO DISPOSE OF STOCK, AND RECEIPT OF SEIZED INSECTICIDES

V(A): FORM OF ORDER "NOT TO DISPOSE OF ANY STOCK" [See rule 30]

Whereas, I have reason(s) to believe that the stock of following insecticides, which is in your possession, is being stocked, for distribution, sale or exhibited for sale and used in contravention of the provisions of section _____ of Insecticides Act, 1968 and/or _____of the Insecticides Rules, 1971: -

Sl. No.	Name of the insecticide with complete details	Manufactured by	Batch Number	Date of manufacture and date of expiry	Stock quantity as on date (indicate units also)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

IndiaCode

I hereby require you under clause (d) of sub-section (1) of section 21 of the Insecticides Act, 1968 to stop the distribution, sales or exhibiting for sale and use of the said stock for a period of _____days from this _____ day of _____month of the year 20_____.

Insecticide Inspector Seal

V (B): FORM OF RECEIPT FOR THE SEIZED INSECTICIDES [See rule 32]

The stock of the insecticide(s) detailed below has this day _____ of the month _____ of year 20____ been seized by me under the provisions of clause (d) of sub-section (1) of section 21 of the Insecticides Act, 1968, from the premises of M/s_____ situated at

_____:

Sl. No.	Name of the insecticide with complete details, like purity, type of formulation, etc.	Manufactured by	Batch Number	Date of manufacture and date of expiry	Stock quantity as on date (indicate units also)	Remarks (Mention page/folio number of the stock register)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

IndiaCode

I have appended my signatures with date and seal on the page/folio number _____ of the stock register of insecticides and taken a copy thereof for record.

Date:

Insecticide Inspector Seal

V(C): INTIMATION TO PERSON/LICENSEE FROM WHOM SAMPLE IS TAKEN [See rule 33]

To

M/s. _____

_____.

PIN : _____

I have this _____day of month _____ year 20____ taken from the premises of M/s _____

(Sale/ stock/ distribution License number _____ dated _____) situated at _____, a samples of the insecticide specified below for the purposes of test or analysis:

1. Common name of the insecticide:
 (mention complete details, like type of formulation)
2. Trade name, if any:
3. Manufactured by:
4. Registration number:
5. Marketed by:
6. Manufacturing License No.
7. Batch number:
8. Date of manufacture:
9. Date of expiry:
10. Stock before sampling:
 (Mention units)
11. Quantity of the sample taken:
 (Mention units)
12. Stock after sampling:
 (Mention units)
13. Folio/page number of stock register:
14. Any other relevant information:

Date:
Insecticide Inspector Seal

1. Signature of witness: _____
 (Date, name and address)
2. Signature of witness: _____
 (Date, name and address)

Received one sealed portion of sample along with a copy of this Form.

Signature of the person from whom the sample is taken With date and seal

IndiaCode

V (D): Form to be kept with sample in sealed packet

[see sub-rule (1) of Rule 34]

To

The Insecticide Analyst

1. Name of insecticide:
 (Common name with active
 ingredient % and formulation type)
2. Batch Number:
3. Date of manufacture:
4. Date of expiry:
5. Packing condition (original sealed / loose):
6. Quantity of the sample:
7. Sample drawn on:
8. Sample drawn by:
9. Specimen seal of insecticide inspector /
 Licensee, if any:
10. Distinct mark on the sealed packet of sample:

IndiaCode

Date: Insecticide Inspector

(Signature and seal)

V (E): MEMORANDUM TO INSECTICIDE ANALYST [*See* sub-rule (3) of rule 34]

From

(Name, complete address and e-mail id of the Insecticide Inspector)

To

The Insecticide Analyst / In-charge of testing Laboratory,

_____,

_____.

PIN:

1. The portion of sample/container described below is sent herewith for test or analysis under rule 34 of the Insecticides Rules, 1971:
 (a) Common name of the insecticide:
 (nominal content, type of formulation etc.)
 (b) State of packing of the sample:

(c) Specimen Impression of the seal of the Inspector:

2. The portion of sample/container has been assigned the distinct number or marked by me with the following mark:

(Give number or the mark here)

3. A copy of this Memorandum along with a Form V (D) has been send separately with the sample by registered post or by hand (strikeout which is not applicable).

Place: New Delhi

Date: 20th April, 2018

Insecticide Inspector

Signature & Seal

[F. No. 13028/02/2017-PP-I]

Dr. B. RAJENDER, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, sub-section (i) *VIDE* number G.S.R. 1650 (E), dated the 19th October, 1971 and subsequently amended *VIDE*:-

1. G.S.R. 474(E), dated the 24th July, 1976,
2. G.S.R. 736(E), dated the 9th December, 1977,
3. G.S.R. 1064(E), dated the 7th November, 1988,
4. G.S.R. 533(E), dated the 6th August, 1993,
5. G.S.R. 371(E), dated the 20th May, 1999,
6. G.S.R. 372(E), dated the 20th May, 1999,
7. G.S.R. 586(E), dated 12th August, 1999
8. G.S.R. 548(E), dated the 12th September, 2006,
9. G.S.R. 692(E), dated the 7th November, 2006,
10. G.S.R. 128(E), dated the 26th February, 2009,
11. G.S.R. 174(E), dated the 5th March, 2010,
12. G.S.R. 474 (E), dated the 11th July, 2013
13. G.S.R. 797(E), dated the 13th November, 2014.
14. G.S.R. 840(E), dated the 5th November, 2015
15. G.S.R. 164(E), dated 15th February, 2016
16. G.S.R. 794(E), dated 12th August, 2016,
17. G.S.R. 79(E), dated 27th January, 2017,
18. G.S.R. 106(E), dated 01st February, 2017,
19. G.S.R. 1229(E), dated 04th October 2017 and
20. G.S.R. 1588(E), dated 22nd December, 2017

IndiaCode

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.05.03 19:42:35 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.